take up Clause 1. There is an amendment by Shri Swaran Singh. But I have received a notice that Shri Krishna will move the amendment and I have agreed to that. You can now move the amendments.

Clause 1—*Short Title.*

Amendment made :

Page 1, line 4,—

for "1968" *substitute* "1970" (2)

(Shri M. R. Krishna)

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made :

Page 1, line 1,—

for "Nineteenth" *substitute*—

"Twenty-first" (1)

(Shri M. R. Krishna)

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Title was added to the Bill.

SHRI M. R. KRISHNA : I move :

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now in response to a very big and strong demand made by many Members of the House that the Reports of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commissioner and the Report of the Committee on Untouchability should be taken up, we shall take them up, say, at ten minutes to five or fifteen minutes to five. The discussion will continue in the next session.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipur) : I was going to suggest, provided, of course Shri Madhu Limaye and Shri Misra agree, that you postpone consideration of item Nos. 36 and 37 and let us proceed with the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

MR. DEPUTY-SPEAKER : All right. Let us now pass over to item Nos. 38 and 39 and take them up together. Let the hon. Minister move the motion.

16.33 hrs.

MOTIONS RE : REPORTS OF COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES AND REPORT OF COMMITTEE ON UNTOUCHABILITY

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE (SHRI GOVINDA MENON) : I move :

"That this House takes note of the Sixteenth, Seventeenth and Eighteenth Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years, 1966-67, 1967-68, and 1968-69, laid on the Table of the House on the 24th April, 1968, 15th May, 1969, and 30th March, 1970 respectively."

I heard your ruling in this matter. The Government also is extremely anxious to see that there should be a discussion about these reports. Since you have promised a full discussion by adjourning the debate at 5 p.m. to the next session, I shall speak, after hearing what the Members have to say.

SHRI SURAJ BHAN (Ambala) : I beg to move :

"That the Report of the Committee

[Shri Suraj Bhan]

on Untouchability, Economic and Educational Development of the Scheduled Castes (Part I–V) along with the connected documents, laid on the Table of the House on the 10th April, 1969, be taken into consideration".

उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने कहा कि वह इस बात के लिए ऐंग्शस हैं कि डिस्कशन हो, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि 1967 में मन्त्री महोदय द्वारा वादा किये जाने के बावजूद कि कमिश्नर की रिपोर्ट पर हर साल डिस्कशन हुआ करेगा, यह रिपोर्ट डिस्कस नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि इसकी तीन वजूहात हो सकती हैं। एक तो यह कि गवर्नमेंट को हरिजनों और आदिवासियों के साथ सिम्पैथी नहीं है, हालांकि मैं महसूस करता हूं कि शायद ऐसा न हो क्योंकि रोज-रोज वह कहते हैं कि उनको सिम्पैथी है। दूसरी वजह यह हो सकती है कि हरिजनों के किसी काम को गवर्नमेंट अहमियत नहीं देती और तीसरी वजह यह हो सकती है कि 1967 में जब यह रिपोर्ट डिस्कश हुई तो गवर्नमेंट की स्नेप वोट में हार हो गई थी। गवर्नमेंट की अपनी तरफ बैठे हुए हरिजन और आदिवासी भाइयों ने भी उनके खिलाफ वोट डाले थे। मैं समझता हूं कि मेन कारण यह था कि गवर्नमेंट को डर था, और डर है, कि हो सकता है कि जब इन रिपोर्टों पर डिस्कशन हो तो उनकी तरफ बैठे हुए साथी, जिनकी जमीर मरी नहीं है और जो कहते हैं कि हरिजनों के मामले में गवर्नमेंट नाकाम रही है, गवर्नमेंट का साथ न दें और गवर्नमेंट को हार का सामना करना पडे। मैं समझता हूं कि इन तीन वजूहात में से कोई भी वजह हो सकती है।

पेरूमल कमेटी के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यह कमेटी 1965 में बनाई गई थी। उसने चार साल बाद अपनी रिपोर्ट दी। चार साल के बाद उस रिपोर्ट देने के बाद उसमें तीन कमिश्नरो की रिपोर्टों को और जोड़ दिया गया है, फिर भी इन चार रिपोर्टों पर डिस्कशन के लिए सिर्फ पांच घंटे अलाट किए गये हैं। पेरूमल कमेटी की रिपोर्ट चार साल की है और उसमें तीन सालों की कमिश्नर की रिपोर्टों को जोड़ दिया गया है, इस तरह सात साल की रिपोर्टों के लिए पांच घंटे दिये गये हैं, और आज आधा घंटा भी इसके लिए बाकी नहीं रहता है। मैं आपसे अपील करता हूँ कि कम से कम अगले सेशन के लिए इसको इतना कम समय नहीं दिया जाएगा।

पेरूमल कमेटी की बाबत मैं बतलाऊंगा कि उसके प्रति गवर्नमेंट का ऐटिट्यूड क्या था। इस रिपोर्ट में इस तरह से कहा गया है कि :

"In the end, however, we very much regret to place on record that even though the committee was set up by the Department of Social Welfare, there was practically very little co-operation from that Department as already pointed out earlier. The indifferent and non-co-operative attitude of the Department gradually developed into a state of active hostility even.".

जिस वक्त कमेटी का काम कम्प्लीट हो जाता है, उसके बाद 25 जनवरी को उसको अपनी रिपोर्ट देनी थी। इत्तफाक से कमेटी अपनी पूरी रिपोर्ट कम्पाइल नहीं कर पाई। कमेटी ने रिक्वेस्ट किया फार्मली कि उसको पांच दिन और दे दिये जायें। उन्होंने कहा कि हम टी० ए० और डी० ए० पांच दिन का नहीं लेंगे, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट ने दफ्तर पर ताला लगा दिया। उसमें कांग्रेस मेम्बर मैंजोरिटी में थे, अपोजीशन के एक दो मेम्बर थे। फिर भी एक प्राइवेट मेम्बर श्री एम० एम० सिदैय्या के घर पर रिपोर्ट तैयार करनी पड़ी। प्राइवेट स्टेनोग्राफर एन्गेज करना पड़ा। यह गवर्नमेंट की अप्वाइंट की हुई कमेटी थी, लेकिन उसके लिए स्टेनोग्राफर नहीं दिया गया, साइक्लोस्टाइल करने के लिए कोई सुविधा नहीं दी। इसके अलावा कमेटी की रिपोर्ट में हेराफेरी की गई। कमेटी के चेयरमैन जो खुद

कांग्रेसी थे, एलाया पेरूमल, उन्होंने लिखा है कि रिपोर्ट को बदला गया है। मैं समझता हूं कि ऐसी कोई मिसाल सामने नहीं आयेगी जब किसी कमेटी ने कोई रिपोर्ट दी हो और उसको इस तरह से बदला गया हो। मैं कमेटी की रिपोर्ट के फर्स्ट चैप्टर के पहले सफे में से एक पैरा पढ़ना चाहता हूँ जिसमें एक लफ्ज को चेन्ज किया गया है। कमेटी की असली रिपोर्ट में यह था कि :

> "To abolish the caste system and untouchability merely on paper and by wishful thinking and empty advice or slogans is sheer nonsense or hypocrisy.".

लेकिन हिपोक्रेसी लफ्ज को बदल कर वाई-पासिंग किया गया है। इस के अलावा कमेटी के चेयरमैन ने एक आठ-दस पेज का लैटर प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, और उसमें जिक्र किया गया है कि कमेटी ने एक पैरा इस रिपोर्ट से काट दिया था, और उस पर कमेटी के मेम्बरों के दस्तखत थे। परन्तु वह पैरा रिपोर्ट में छापा गया है। लेकिन कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि असली रिपोर्ट और प्रिंटेड रिपोर्ट में इतना फर्क है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन चेयरमैन के कहने के बाद भी इस मामले में कोई ऐक्शन नही लिया गया।

इसके अलावा कमेटी की रिपोर्ट में और भी धांधलियां हुई हैं। कमेटी की रिपोर्ट है कि देश में अनटचेबिलिटी है, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट में नोट आफ डिसेंट जोड़ा गया। केरल के जो श्री आर अच्युतन हैं उनको तीन लाख रुपयों का वादा देकर जान-बूझकर नोट आफ डिसेंट लगवाया गया। श्री आर अच्युतन के नाम से एक स्कूल है। वे उसके लिए चन्दा लेनां चाहते थे। उनकी ऐप्लिकेशन रेकार्ड पर है। दिसम्बर में उनकी ऐप्लिकेशन रिजेक्ट हुई, उसके बाद उन पर प्रेशर डाला गया कि नोट आफ डिसेंट दें, और कहा गया कि तीन लाख तो नहीं लेकिन उनको डेढ़ दो लाख जरूर दिया जा सकता है। 24 जनवरी को वह आदमी डायरेक्टर जनरल बैकवर्ड क्लासिस के दफ्तर में आता है। मि० अचुतन को अंग्रेजी नहीं आती है। ही इज नाट नो दी मिनिंग आफ इवन डाइसेंटिंग नोट। लेकिन उसके खिलाफ पर डायरेक्टर जनरल डाइसेंटिंग नोट डिक्टेट कराता है अपने स्टेनो को। नोटबुक में वह सब कुछ है, वह डिक्टेशन मौजूद थी। उसी मशीन पर जिस पर डाइसेंटिंग नोट टाइप किया गया था, Dissenting note और एप्लीकेशन जिसमें लिखा है कि उसको ग्रान्ट दी जाये। दोनों 24 जनवरी के हैं। यह सब उसी मशीन पर टाइप होता है। एक ही मशीन पर दोनों टाइप होती हैं। मैंने डायरेक्टर जनरल बैकवर्ड क्लासिस को लैटर लिखे। वह घबरा गए। उन्होंने जवाब देना बन्द कर दिया। मैंने पालियामेंट में इस सवाल को उठाया। मन्त्री महोदय को लैटर लिखा और उनसे कहा कि आप कमेटी के सामने सारा रिकार्ड पेश करें। पालियामेंटरी कमेटी जो SC/ST के लिए है इसके सामने आप सारे रिकार्ड को पेश करें। लेकिन रिकार्ड नहीं भेजा गया। तब मैंने कमेटी की तरफ से कोशिश की। Director General महोदय ने वादा किया था कि रिकार्ड मौजूद है और उसको भेज दिया जायगा। एक साल के बाद रिकार्ड भेजा गया और वह भी मेरे मन्त्री महोदय के नाम Letter लिखने के बाद जब रिकार्ड भेज दिया गया तो उससे पता चला कि शार्टहैंड नोटबुक जला दी गई है तथा रजिस्टर आफ रिसीट एंड डिसपेच मिसप्लेस हो गए हैं। वे उपलब्ध नहीं किए गए। ऐसा लगता हैं कि डायरेक्टर जनरल बैकवर्ड क्लासिस ने उनको जानबूझकर डिसट्राय करा दिया है। इन हालात में कमेटी की रिपोर्ट के साथ क्या बंगलिंग हुआ होगा, इसका आसानी से अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि इसके लिए पालियामेंट की एक कमेटी मुकर्रर की जाए ताकि इस रिपोर्ट के साथ धांधली हुई है, जो हेराफेरी हुई है, उसका जायजा लिया जा सके। रिकार्ड डेसट्राय किया गया है। अचुतन की एप्लीकेशन का रिकार्ड 24 जनवरी का नहीं दिया गया है और डाइसेंटिंग नोट उनसे लिया गया है।

[श्री सूरज भान]

कमिश्नर की तीन रिपोर्टों पर बहस हो रही है। दस मिनट का आपने समय दिया है। इतने कम समय में इन रिपोर्टों के साथ इंसाफ नहीं हो सकता है। लेकिन एक दो बातें मैं जरूर कहना चाहता हूं। हमारे जो मौजूदा शैड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर हैं उनके मुताल्लिक में एक बात कहना चाहता हूँ। जब इस तरह का कोई व्यक्ति इस पद पर आसीन हो तो उसकी जो रिपोर्ट है, वह कैसे बेहतर हो सकती है। 1967 में नेशनल इटेट्र इटैग्रेशन काउंसिल की श्रीनगर में मीटिंग हुई थी। वहां जो प्रेजेंट कमिश्नर हैं उनको एक नोट तैयार करने के लिए कहा गया है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज का इंटेग्रेशन मुल्क के साथ कैसे हो। जो सुझाव वह अपने नोट में देते हैं उनको आप देखें। पहला तो यह है SSIST बच्चों को दसवीं क्लास से ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस सुझाव को वह दे रहे हैं जो इस कौम की भलाई के लिए रखे गए हैं कि बतायें कि इन लोगों की बेहतरी किस तरह से हो सकती है। दूसरा सुझाव वह यह देते हैं कि इनके लिए नौकरियों में रिजर्वेशन की जरूरत नहीं। तीसरा सुझाव यह देते हैं यू० पी० एस० सी०, पी० एस० सीज और दूसरे सिलैकशन बोर्ड्ज में इनके रिप्रिजेंटेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम मांग करते हैं कि हमारा कोटा प्रशाशन में पूरा होना चाहिए लेकिन वह यह सुझाव देते हैं। वह कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है इनके आदमी लेने की। जो कमिश्नर इन विचारों के हों उनसे भलाई की, बेहतरी की क्या आशा की जा सकती है। ये विचार उनके आज नहीं बने, बहुत पहले के हैं। 1964 में उन्होंने एक लैक्चर दिया था। तब उन्होंने कहा था कि इनके लिए रिजर्वेशन के मैं खिलाफ हूं। श्री बसुमतारी जो अब चेयरमैन हैं पार्लियामेंटरी कमेटी के जो शैड्यूल्ड कास्ट्स के लिए बनी हुई हैं, उन्होंने 1964 में उसके इस भाषण के खिलाफ Parliament में आवाज उठाई थी एक चिट्ठी 1967 में प्रधान मन्त्री को लिखी थी। अपोजीशन के मेरे अलावा एक या दो ने ही उस पर दस्तखत किये थे। लेकिन कांग्रेस के मेम्बरों के उस पर दस्तखत थे। श्री सोनावने, श्री बूटा सिंह, श्री शंकरानन्द जो कांग्रेस के मशहूर नेता हैं इत्यादि सभी ने उस चिट्टी पर दस्तखत करके मांग की थी कि हम इस तरह के आदमी को इस पद पर नहीं चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद सोशल वैलफेयर के मिनिस्टर ने कहा कि हमने ज्यूडिशल जायजा लिया है और उस नोट में शैडयूल्ड कास्ट्स के खिलाफ कोई बात नहीं है। आप इस पर जरा गौर करें।

इस आदमी ने कमिश्नर की पोस्ट पर आने के बाद कमिश्नर की पोस्ट को भी किस हद तक डिग्रेट किया है, इसको भी आप देखें। गवर्नमेंट भी इसके लिए जिम्मेवार है। कुछ साल पहले कमिश्नर के आफिस हर स्टेट में होते थे। उनका काम यह था कि वे कमिश्नर को इस बारे में इनफर्मेशन भेजें कि देश में शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज की क्या हालत है, ताकि कमिश्नर उसके बेसिस पर अपनी रिपोर्ट बना सके। डायरेक्टर जेनेरल आफ बैकवर्ड क्लासिज ने गवर्नमेंट के सामने यह तजवीज रखी कि स्टेट्स में कमिश्नर के जो दफ्तर हैं, उनको तोड़ दिया जाये और उनकी जगह डायरेक्टर जेनेरल आफ बैकवर्ड क्लासिज के दफ्तर खोले जायें। इस बारे में आर्ग्युमेंट यह दी गई कि मौजूदा कमिश्नर से सलाह-मश्वरा कर लिया गया है। पिछले तीन चार कमिश्नरों ने इस बात को प्रोपोज किया था और कहा था कि स्टेट्स में उनके अपने इंडिपेंडेंट दफ्तर होने चाहिए, ताकि कमिश्नर उनसे ठीक ढंग से इनफर्मेशन हासिल कर सके और उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर सके। लेकिन इसके बावजूद स्टेट्स में कमिश्नर के दफ्तरों को तोड़ दिया गया और अब स्टेट्स में कमिश्नर का कोई दफ्तर नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूँ

कि इस सूरत में कमिश्नर किस इनफर्मेशन के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। इसके बावजूद कमिश्नर साहब कहते हैं कि वह मौजूदा हालात से सैटिसफाइड हैं। चूंकि पार्लियामेंट कमेटी इस बात को देख रही है, इसलिए मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ। जब एक्शन टेकन रिपोर्ट आयेगी, तब मैं हाउस में इस बारे में जिक्र करूंगा।

सर्विसेज में बहुत ज्यादा धांधलिया हैं। मैं सिर्फ एक केस का जिक्र करना चाहता हूं। सर्विसेज का आगाज होम मिनिस्ट्री से होता है, इसलिए मैं होम मिनिस्ट्री की बात करना चाहता हूं। 1963 में होम मिनिस्ट्री ने सैक्शन आफिसर्ज का एक इम्तहान किया। हालांकी शैड्यूल्ड कास्ट्स कैंडीडेट्स के नम्बर बहुत अच्छे थे, लेकिन 170 पोस्ट्स में उनको रिजर्वेशन नहीं दिया गया। इस बारे में 1963 के बाद कर दस बारह एम० पीज० श्री चव्हाण और श्री शुक्ल को कई लैटर लिखते रहे, लेकिन वे दोनों उन लैटर्ज को दबा कर बैठे रहे। पिछले साल मैंने श्री चव्हाण को एक लैटर लिख कर पूछा कि क्या यह हकीकत है कि दस-बारह एम० पीज० ने, जो इत्तिफाक से सब शैड्यूल्ड कास्ट्स के हैं, आप को लैटर लिखे हैं और आपने उनका जवाब नहीं दिया है ; क्या आप की और गवर्नमेंट की नजर में शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों और उनके एम० पीज० की यही कीमत है। उस के बाद उनका जवाब आया, लेकिन उस जवाब को सुनकर सब को हैरानी होगी। उन्होंने कहा कि 170 पोस्ट्स में रिजर्वेशन इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वे पोस्ट्स आम तरीके से नहीं भरी गई थीं। बल्कि वे आनरेबल एम० पीज० के साथ Consultations करके भरी गई थीं। मैं जानना चाहता हूं कि आनरेबल एम० पीज० कौन से हैं, जिन्होंने शैडयूल्ड कास्ट्स के हुकूक पर छापा मारा।

उस के बाद मैंने छः लैटर श्री चव्हाण और श्री शुक्ल को लिखे हैं। श्री शुक्ल कहते हैं कि मैं इस के बारे में उन से मिलूं, लेकिन जब उनसे टाइम मांगा जाता है, तो वह कहते हैं कि दि मैटर इज अंडर कनसिडरेशन। जब होम मिनिस्ट्री में यह हालत है, तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि दूसरे दफ्तरों में क्या हालत होगी।

अब मैं एक केस एयर इंडिया का बताना चाहता हूं। वह दो-तीन साल पुरानी बात है। एक शैड्यूल्ड कास्ट्स लड़की ने एयर हास्टेस की पोस्ट के लिए एप्लाई किया। उस पोस्ट के लिए दो कनसिडरेशन्ज होती हैं : एक तो लड़की गुड लुकिंग हो और दूसरे, वह अंग्रेजी अच्छी तरह बोल सकती हो। वे दोनों क्वालिफिकेशन्ज उस लड़की में थीं। लोगों ने उसको कहा कि वह अपनी एप्लिकेशन में शैड्यूल्ड कास्ट की बात मैनशन न करे। लेकिन उस ने कहा कि शैड्यूल्ड कास्ट्स कैंडीडेट्स को रियायत मिलती है और उस ने अपनी एप्लिकेशन में लिख दिया कि मैं शैड्यूल्ड कास्ट हूँ। नतीजा यह हुआ कि उसको रिजेक्ट कर दिया गया।

अगले साल उसने फिर एप्लाई किया, लेकिन इस बार उसने शैड्यूल्ड कास्ट की बात मैनशन नहीं की। उसको सिलैक्ट कर लिया गया और वह अब भी सर्विस में है। जब उसने शैड्यूल्ड कास्ट की बात मैनशन नहीं की, तो उसको सिलैक्ट कर लिया गया, लेकिन जब उसने कहा कि मैं शैड्यूल्ड कास्ट कैंडीडेट हूँ, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया, हालांकि उसको रियायत मिलनी चाहिये थी।

इसके अलावा कनफर्मेशन में और डिपार्टमेंटल प्रोमोशन (एग्जामिनेशन) में रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया है।

दोपहर के वक्त मैंने उस लड़के का केस बताया था, जिसके हाथ बांध कर, उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई थी।

MR. DEPUTY-SPEAKER : One minute. You may continue your speech in the next session. Now, Mr. Sethi.